रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-07102026-276894
CG-TL-E-07102026-276894

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5211] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 2026/आश्विन 9, 1948
No. 5211] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2026/ASVINA 9, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 30 सितंबर, 2026

का.आ. 5420(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20ए की उपधारा-)1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिसे आगे)"उक्त अधिनियम" कहा गया है(, केंद्र सरकार, इस तथ्य से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु, अनुसूची में संलग्न भूमि का संक्षिप्त विवरण, तेलंगाना राज्य के पेद्दापल्ली जिले में अंतरगांव मंडल के रायडंडी गांव के पेद्दमपेट मजरा की सीमा में स्थित, रामगुंडम और पेद्दमपेट स्टेशनों के बीच कि .मी.270/26-28 पर समपार संख्या 52 के स्थान पर सड़क उपरि पुल का निर्माण, अर्थात् एक विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद् द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा घोषित करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में रुचि रखता है, वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20D की उपधारा-)1) के अंतर्गत, उपर्युक्त उद्देश्य के लिए उक्त भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, पेद्दापल्ली को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें आपत्ति के आधार स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, पेद्दापल्ली, आपत्ति करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अथवा कानूनी प्रैक्टिशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् तथा भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली किसी भी अतिरिक्त जाँच के उपरांत, आदेश द्वारा ऐसी आपत्तियों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(D) की उपधारा-)ii) के अंतर्गत भूमि अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि योजनाएँ एवं अन्य विवरणउपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका अवलोकन कर सकते हैं।

अनुसूची

अधिग्रहण में भूमियों का विवरण: तेलंगाना राज्य के पेद्दापल्ली जिले में अंतरगांव मंडल के रायडंडी गांव के पेद्दमपेट मजरा की सीमा में स्थित, रामगुंडम और पेद्दमपेट स्टेशनों के बीच कि .मी.270/26-28 पर समपार संख्या 52 के स्थान पर सड़क उपरि पुल का निर्माण।

गाँव: रायडंडी		**मंडल: अंथेरगांव**		**जिला: पेद्दापल्ली**
क्र.सं.	**सर्वे सं.**	**अर्जन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल (गुंटा-एकड़)**	**भूमि की प्रकृति**	**वर्गीकरण**
1	2	3	4	5
1	82	0.02	पट्टा	असिंचित
2	83	0.19	पट्टा	असिंचित
3	87	0.29	पट्टा	असिंचित
4	89	0.14	सरकारी	असिंचित
5	104	0.36	कुरिज खम्मी	असिंचित
6	262	0.38	पट्टा	असिंचित
7	263	0.34	पट्टा	असिंचित
		0.06	बी पी एल	बी पी एल
8	Railway	0.16	सरकारी	सरकारी
कुल		**4.34**		

[फा. सं. RSP/Gazette/20A/LC.No.52/KZJ-BPQ/SC]

जे सधर्मा देव रॉयल, सीई / सी / आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 30th September, 2026

S.O. 5420(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of The Special Railway Project namely, "Construction of Road Over Bridge in Lieu of Level Crossing (LC) No. 52 at Km 270/26-28 in between Ramagundam and Peddampet stations" situated in the limits of Peddampet H/O Raidandi village of Anthergaon Mandal in Peddapalli District in the State of Telangana, hereby declares its intension to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer, Peddapalli in writing and shall be set out the grounds thereof, and the Competent Authority, Revenue Divisional Officer, Peddapalli, shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority for Land Acquisition (CALA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority for Land Acquisition under sub section (ii) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Description of Lands in Acquisition: Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing (LC) No. 52 at Km 270/26-28 in between Ramagundam and Peddampet stations, situated in the limits of Peddampet H/O Raidandi Village of Anthergaon Mandal in Peddapalli District in the State of Telangana.

Village: Raidandi		**Mandal: Anthergaon**	**District: Peddapalli**	
S.No	**Sy.No**	**Area coming under acquisition in Acres -Guntas**	**Nature of Land**	**Classification**
1	2	3	4	5
1	82	0.02	Patta	Dry
2	83	0.19	Patta	Dry
3	87	0.29	Patta	Dry
4	89	0.14	Govt	Dry
5	104	0.36	Kuriz Khammi	Dry
6	262	0.38	Patta	Dry
7	263	0.34	Patta	Dry
		0.06	BPL	BPL
8	Railway	0.16	Govt	Govt
Total		**4.34**		

[F. No. RSP/Gazette/20A/LC.No.52/KZJ-BPQ/SC]

J SADHARMA DEV ROYAL, CE/C/RSP

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.10.07 15:29:22 +05'30'